कार्यालय आदर्श नगर पंचायत भटनी बाजार, देवरिया।

संख्या–240 / न0पं0भ0बा0 / 2022–2023, दिनांक–06.08.2022

भवन मानचित्र स्वीकृति

अथान एजुकेशनल ट्रस्ट प्रबंधकीय न्यासी श्री जयराम यादव पुत्र स्व0 बहादुर यादव, पता–वार्ड सं0–07 रामपुर खुरहुरिया, भटनी के प्रार्थना पत्र जो भवन मानचित्र स्वीकृति से सम्बंधित है, का भलीभांति अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधोहस्ताक्षरी के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 25.07.2022 के कम में हल्का लेखपाल एवं वार्ड सदस्य द्वारा अपनी आख्याएं प्रस्तुत की गयी हैं। हल्का लेखपाल की आख्या दिनांक 02.08.2022 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि आपके आदेश के कम में आवेदक बहादुर यादव कालेज आफ फार्मेशी रामपुर खुरहुरिया, नगर पंचायत भटनी बाजार द्वारा अथान जुकेशनल ट्रस्ट ग्राम–महुई पो0–करौदी, जिला–देवरिया प्रबंधकीय न्यासी श्री जयराम यादव पुत्र स्व0 बहादुर यादव पता–ग्राम महुई, पो0–करौदी, देवरिया के निवासी हैं। इनके द्वारा पत्रावली में संलग्न नक्शे का अभिलेखिय एवं स्थलीय निरिक्षण किया गया। उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा अ0नं0–181 ख कय की गयी भूमि है तथा उसका नामान्तरण आदेश भी हो चुका है तथा अ0नं0–182,9,178 व 171 तीन नम्बर मूल खातेदार से 30 वर्ष के लिए रजिस्टर्ड लीज पर लिया गया है। मौके पर काबिज दाखिल हैं। इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त भूखण्ड के संबंध में किसी भी न्यायालय में वाद लम्बित अथवा योजित नहीं है। नगर पंचायत भटनी बाजार अपने नियम व शर्तों के अनुसार नक्शा स्वीकृत कर सकता है। इसमें कोई कठीनाई प्रतीत नहीं हो रहा है। सदस्य श्री लल्लन यादव द्वारा भी नक्शा स्वीकृति हेतु संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त जांच आख्या से स्पष्ट है कि आवेदक अथान एजुकेशनल ट्रस्ट प्रबंधकीय न्यासी श्री जयराम यादव पुत्र स्व0 बहादुर यादव, पता–वार्ड सं0–07 रामपुर खुरहुरिया, भटनी का भवन मानचित्र स्वीकृति योग्य है। मा0 अध्यक्ष महोदय, नगर पंचातय भटनी बाजार के आदेश के कम में 02 रुपये प्रति स्कवायर फीट आवेदक के द्वारा रसीद सं0–93 / 91 दिनांक 22.07.2022 द्वारा मु0–54000.00 (चौवन हजार रुपये मात्र) का भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु शुल्क के रूप में जमा किया गया है।

आवेदक अथान एजुकेशनल ट्रस्ट प्रबंधकीय न्यासी श्री जयराम यादव पुत्र स्व0 बहादुर यादव, पता–वार्ड सं0–07 रामपुर खुरहुरिया, भटनी, देवरिया का भवन मानचित्र निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किया जाता है–

1. भवन मानचित्र के अनुसार ही भवन का निर्माण कार्य करावें।
2. भवन मानचित्र की स्वीकृति की अवधि स्वीकृति तिथि से 01 वर्ष तक ही मान्य है के उपरान्त नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।
3. स्वीकृत प्लान पर स्वामित्व सम्बंधी विवाद होने की दशा में स्वीकृति का प्रभाव शून्य होगा।
4. प्लान से संलग्न सड़क / नाली यदि है तो उसे तीन फीट पीछे हटकर निर्माण किया जायेगा।
5. मुख्य नाली तक गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था स्वयं करना होगा।
6. दो अदद वृक्षारोपण करना तथा मकान के अन्दर शौचालय का निर्माण कराना अनिवार्य होगा। अनुपालन नहीं किये जाने पर भवन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
7. सड़क नाली हेतु अपने जमीन में से 06 फीट जमीन सड़क की तरफ छोड़ना अनिवार्य होगा।
8. स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा। यदि भवन मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य कराया जायेगा तो नगर पंचायत द्वारा उस निर्माण को हटवा दिया जायेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक / आवेदिका की होगी। तथा स्वीकृत भवन मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।
9. जमीन से सम्बंधित विवाद उत्पन्न होने पर नगर पंचायत कार्यालय भटनी बाजार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा स्वीकृत भवन मानचित्र स्वतः निरस्त / निष्प्रभावी हो जायेगा।
10. अपने जमीन में ही चबूतरा सीढ़ी बरजा आदि निकालना होगा।
11. भवन मानचित्र स्वीकृति की तिथि से 01 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा। निर्धारित समय सीमा समाप्त हो जाने पर पुनः उक्त भवन मानचित्र का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।
12. आवेदक / आवेदिका द्वारा कोई तथ्य छिपाकर अगर भवन मानचित्र स्वीकृत कराया गया है तो स्वीकृत भवन मानचित्र स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा।
13. छत का पानी सीधे सड़क पर गिराना पूर्णतः वर्जित है, उसे रेन पाइप के सहारे नालियों में गिराना अनिवार्य होगा।

06.08.2022

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत भटनी बाजार
देवरिया

06-08-2022

अध्यक्ष
नगर पंचायत भटनी बाजार
देवरिया

अध्यक्ष
नगर पंचायत-भटनी
देवरिया